

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संख्या-बा०प्र०सु०संके०-50/2016 (अंश-1)- 137

पटना/दिनांक-06/02/2025

आदेश

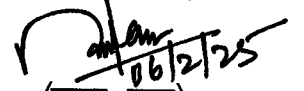
जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार के अधीन बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के नियंत्रण में विश्व बैंक सम्पोषित बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत स्थापित गणितीय प्रतिमान केन्द्र (Mathematical Modelling Centre-MMC) के सुचारू संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं० 5/डी०-04-10-01/2017-1334 दिनांक-26/05/2017 की स्वीकृति के क्रम में विभागीय पत्रांक बा०प्र०सु०संके०-50/2016-981 दिनांक-29/12/2017 के द्वारा वरीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ के पद पर श्री संजय कुमार, कनीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ के पद पर श्री पीयूष कुमार, सॉफ्टवेयर अभियंता/ प्रोग्रामर विशेषज्ञ के पद पर श्री प्रेम कुमार, विभागीय पत्रांक बा०प्र०सु०संके०-50/2016(अंश-1)-84 दिनांक-30/01/2019 के द्वारा बेवमास्टर/ वेब अभिकल्पन विशेषज्ञ के पद पर श्री धीरज कुमार सिंह तथा विभागीय पत्रांक बा०प्र०सु०संके०-11/2022-1014 दिनांक-15/12/2022 के द्वारा तंत्र प्रबंधक के पद पर श्री विकास कुमार को एक वर्ष के लिए संविदा पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं समय-समय पर उनकी सेवा विस्तारित की गयी है ।

निम्नलिखित पाँच अदद विशेषज्ञों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-4 में अंकित पदों पर स्तम्भ-5 में अंकित अवधि के लिए एवं स्तम्भ-6 में अंकित मासिक पारिश्रमिक दर पर संविदा सेवा विस्तारित किया जाता है:-

क्र०	नाम	गृह ज़िला	पदनाम	अनुबंध की अवधि	मासिक पारिश्रमिक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री संजय कुमार	पटना, बिहार	वरीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ	10.01.2025 से 09.01.2026 तक	₹ 75,075/- (रु० पछहत्तर हजार पछहत्तर मात्र)
2.	श्री पीयूष कुमार	नवादा, बिहार	कनीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ	08.01.2025 से 07.01.2026 तक	₹ 45,000/- (रु० पैतालीस हजार मात्र)
3.	श्री प्रेम कुमार	नालन्दा, बिहार	सॉफ्टवेयर अभियंता/ प्रोग्रामर विशेषज्ञ	12.01.2025 से 11.01.2026 तक	₹ 72,187/- (रु० बहत्तर हजार एक सौ सतासी मात्र)
4.	श्री धीरज कुमार सिंह	सारण, बिहार	बेवमास्टर/ वेब अभिकल्पन विशेषज्ञ	11.02.2025 से 10.02.2026 तक	₹ 63,800/- (रु० तिरसठ हजार आठ सौ मात्र)
5.	श्री विकास कुमार	पटना, बिहार	तंत्र प्रबंधक	17.01.2025 से 16.01.2026	₹ 75,000/- (रु० पछहत्तर हजार मात्र)

2. संविदा के आधार पर नियोजन का यह सेवा विस्तार प्रथमतः 01(एक) वर्ष की अवधि या 65(पैसठ) वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) तक के लिये होगी । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।

3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं इस संविदा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में विनियमितकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।
4. संविदा पर नियोजित कर्मों को सरकारी कर्मों की भांति अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा ।
5. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (प्रधान सचिव/सचिव) के आदेश/अनुमोदन से यात्रा पर की गयी वास्तविक व्यय अनुमान्य होगा ।
6. संविदा नियुक्ति के क्रम में किये गये अनुबंध समाप्ति की तिथि के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन/सेवा विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
7. नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर उनका नियोजन रद्द किया जा सकता है ।
8. उक्त नियोजन बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संविदा पर नियोजन के दौरान यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का गंभीर आरोप अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।
9. संबंधित विशेषज्ञों के सेवा विस्तार हेतु मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के साथ विहित प्रपत्र में स्तम्भ-5 में अंकित विस्तारित अवधि के लिए एकरारनामा किया जाएगा । संविदा नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे, तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।
10. संविदा के आधार पर नियोजित पद के कार्यों की समीक्षा सावधिक अंतराल पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।
11. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित नियोजित पद की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रमिक राशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी । साथ ही अन्य सुसंगत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।
12. इनके पारिश्रमिक भुगतान पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष-003-क्षेत्रीय स्थापना; विपत्र कोड-49-2711.01.001.0003 के अन्तर्गत 28.02 संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष के अन्तर्गत धारित होगा ।
13. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

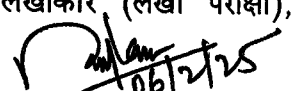

(कुमुद रजन)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक- बा०प्र०सु०स०के०-50/2016 (अंश-1)- 137

पटना/दिनांक-66/62/2025

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

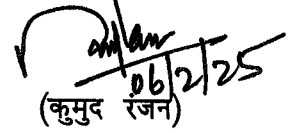

(कुमुद रजन)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक- बा०प्र०सु०संके०-50/2016 (अंश-1)- 137

पटना/दिनांक-06/02/2025

प्रतिलिपि-ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अधीक्षक राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना-07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

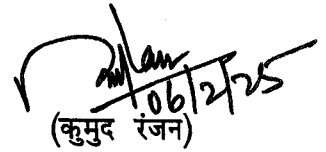

(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक- बा०प्र०सु०संके०-50/2016 (अंश-1)- 137

पटना/दिनांक-06/02/2025

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

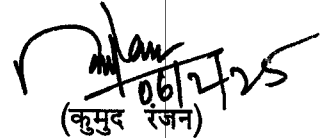

(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक- बा०प्र०सु०संके०-50/2016 (अंश-1)- 137

पटना/दिनांक-06/02/2025

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ कार्यपालक अभियंता, आई०टी० (Executive Engineer, I.T.), जल संसाधन विभाग, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-5,7 एवं 22 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित ।

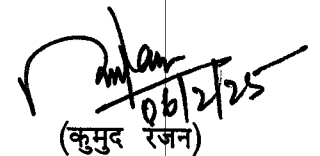

(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक- बा०प्र०सु०संके०-50/2016 (अंश-1)- 137

पटना/दिनांक-06/02/2025

प्रतिलिपि-श्री संजय कुमार, पिता-स्व० चन्द्र नाथ माथुर, A-43, अलकापुरी, अनिसाबाद, पटना, बिहार-800002/ श्री पियूष कुमार, पिता-श्री रमेश कुमार, खखरी, नवादा, बिहार-805130/ श्री प्रेम कुमार, पिता-श्री अमीरक प्रसाद, रानी बिगहा, सबैत, नालन्दा, बिहार-803111/ श्री धीरज कुमार सिंह, पिता-श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, चौदपुरा, उसरी चौदपुरा, तरैया, सारण, बिहार-841424/ श्री विकास कुमार, पिता-डॉ० महेश प्रसाद सिन्हा, हरिराज निकेतन, रामपति पथ, पटना जंक्शन के समीप, करबिगहिया, पटना, बिहार-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्र०)